राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2588 / 2022

डॉ. मनीषा शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), पंचायती राज विभाग (चिकित्सा) जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–2, राज.।
5. डॉ. हेमंत मीणा, पदस्थापित पीएचसी वाटिका, सांगानेर, जयपुर जरिये चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–2, विभाग एवं पंचायती राज विभाग (चिकित्सा) जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अश्विनी जेमन, अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 19.07.2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन सीएचसी बगरू, जिला जयपुर से सीएचसी, गंगापुर, जिला भीलवाडा में किया गया है।
2. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना गया।
3. पूर्व में इस अपील में इस अधिकरण द्वारा दिनांक 16.08.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश को अपास्त करने हेतु निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी जो चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर कार्यरत है, उसका स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2022 के द्वारा सीएचसी, बगरू, जयपुर से सीएचसी, गंगापुर, भीलवाडा में रिक्त पद पर किया गया, जिस आदेश को इस अपील में अपीलार्थी ने चुनौती दी है। उक्त आदेश के द्वारा ही निजी प्रत्यर्थी, जो चिकित्सा अधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) के पद पर पीएचसी, वाटिका, सांगानेर में कार्यरत है। उनका स्थानान्तरण सीएचसी, बगरू, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया।
5. उनका मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है, जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है।
6. उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण पूर्व में आदेश दिनांक 15.06.2022 के द्वारा सीएचसी, बगरू, जयपुर द्वितीय से सीएचसी, वाटिका जयपुर द्वितीय में किया गया था और एक माह पश्चात् ही अल्पावधि में पुनः सीएचसी, बगरू में निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को उसी स्थान पर अर्थात् सीएचसी, बगरू में ही पदस्थापित करने के लिये अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2022 को अपास्त किया जावे।
7. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का प्रथम पदस्थापन दिनांक 05.09.2018 के आदेश के द्वारा किया गया था एवं जो सर्वप्रथम एसडीएच, लाडनू, नागौर में किया गया था। प्रथम पदस्थापन के 20 दिन के पश्चात ही अपीलार्थी को सीएचसी, बगरू, जयपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया, जबकि सीएचसी, बगरू, जयपुर में चिकित्सा अधिकारी दंत का कोई पद नहीं था। फिर भी उसे चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध जयपुर में पदस्थापित किया गया है।
8. उनका यह भी तर्क रहा है कि सीएचसी, बगरू, जयपुर के कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को दिनांक 13.09.2022 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि

सीएचसी, बगरू में चिकित्सा अधिकारी (दंत) का कोई पद स्वीकृत नहीं है। अपीलार्थी जो वर्तमान में सीएचसी, बगरू में कार्यरत है, वहां पर अपीलार्थी को कोई पद स्वीकृत नहीं है फिर भी उसे पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है और ऐसी स्थिति के कारण ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2022 के द्वारा सीएचसी बगरू से सीएचसी, गंगापुर भीलवाडा में किया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश में कोई दुर्भावना एवं त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जाए।

9. इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने रिज्वोइण्डर प्रस्तुत कर तर्क दिया कि अपीलार्थी का वर्तमान में सीएचसी, गंगापुर, भीलवाडा में स्थानान्तरण किया गया है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी (दंत) का एक पद ही स्वीकृत है। जहां पर पूर्व में ही अन्य चिकित्सा अधिकारी (दंत) कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी के लिये गंगापुर में कोई स्थान रिक्त नहीं है और अपीलार्थी को वर्तमान में भी चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया है और इस आधार पर वर्तमान स्थानान्तरण गलत है।

10. उनका यह भी तर्क है कि केवल मात्र विधायक के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन किये जाने पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो दुर्भावनापूर्ण, अवैध एवं नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

11. हमनें विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

12. अपीलार्थी ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि वर्तमान में, जहां सीएचसी, बगरू में अपीलार्थी कार्यरत है वहां चिकित्सा अधिकारी (दंत) का कोई पद नहीं है। सीएचसी, बगरू में चिकित्सा अधिकारी (दंत) का कोई पद स्वीकृत नहीं होने का तथ्य सीएचसी, बगरू जयपुर के कनिष्ठ विशिषज्ञ प्रभारी ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2022 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को लिखा गया है। ऐसे में स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान सीएचसी, बगरू में अपीलार्थी का पद स्वीकृत नहीं है।

13. परन्तु अपीलार्थी ने यह भी प्रकट किया है कि वर्तमान स्थानान्तरण आदेश से सीएचसी, गंगापुर, भीलवाडा में अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है वहां पर भी चिकित्सा अधिकारी (दंत) का कोई पद रिक्त नहीं है, ऐसे में अपीलार्थी को सीएचसी, गंगापुर में चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध ही लगाया गया है।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में जब यह स्पष्ट है कि सीएचसी, बगरू में अपीलार्थी जो चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर पदस्थापित है उसके लिये कोई पद नही है। सीएचसी, बगरू, जयपुर से अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी, गंगापुर, भीलवाडा में किये जाने में कोई दुर्भावना या विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है, परन्तु अपीलार्थी ने यह प्रकट किया है कि अपीलार्थी को जिस स्थान सीएचसी, गंगापुर, भीलवाडा में पदस्थापित किया गया है वहां अपीलार्थी से सम्बन्धित कोई पद रिक्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग एक माह की अवधि में अपीलार्थी को उसके पद के अनुसार रिक्त पद पर पदस्थापित करें। तब तक अंतरिम आदेश दिनांक 16.08.2022 प्रभावी रहेगा। एक माह पश्चात् इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2022 स्वतः निरस्त माना जावेगा।

15. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

16. आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)